कार्यालयः जिला विद्यालय निरीक्षक, शाहजहॉपुर।

पत्रांकः ५५१-८ /अध्यादेश/2018–19 दिनांकः 18/05/2018

आदेश

शासन की अधिसूचना संख्या– 861/79–वि–1–18–2(का) 6/2016 दिनांक 09 अप्रैल 2018 द्वारा उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित स्वतन्त्र विद्यालय (शुल्क निर्धारण) अध्यादेश 2018 प्रकाशित किया गया है।

अतः अध्यादेश 2018 की प्रति इस निर्देश के साथ संलग्न कर प्रेषित कि उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित स्वतन्त्र विद्यालय (शुल्क निर्धारण) अध्यादेश 2018 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक– उक्तवत।

जिला विद्यालय निरीक्षक
शाहजहॉपुर।

पृ0सं0: पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी महोदय, शाहजहॉपुर।
2. मुख्य विकास अधिकारी, महोदय, शाहजहॉपुर।
3. सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
4. अपर जिलाधिकारी प्रशासन, शाहजहॉपुर।
5. संयुक्त शिक्षा निदेशक, बरेली मण्डल बरेली।
6. क्षेत्रीय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, बरेली।
7. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शाहजहॉपुर।
8. प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या, समस्त माध्यमिक विद्यालय, जनपद शाहजहॉपुर को अनुपालनार्थ।
9. प्रबन्धक, समस्त सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 बोर्ड के विद्यालयों को अनुपालनार्थ।

जिला विद्यालय निरीक्षक
शाहजहॉपुर।

(ई-मेल)

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक(मा0),
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

1–मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
2–मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक(मा0), उत्तर प्रदेश।
3–जिला विद्यालय निरीक्षक(प्रथम/द्वितीय), उत्तर प्रदेश।

पत्रांकःशिविर/ 763-922 /2018–19 दिनांक 11 अप्रैल, 2018

विषय–उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित स्वतन्त्र विद्यालय (शुल्क निर्धारण) अध्यादेश, 2018 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

सूच्य है कि शासन की अधिसूचना संख्या–861/79–वि–1–18–2(का) 6/2016 दिनांक 09 अप्रैल, 2018 द्वारा उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित स्वतन्त्र विद्यालय (शुल्क निर्धारण) अध्यादेश, 2018 प्रकाशित किया गया है।

2–उपरोक्त अध्यादेश, 2018 की प्रति इस निर्देश के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित स्वतन्त्र विद्यालय (शुल्क निर्धारण) अध्यादेश, 2018 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतन्त्र
विद्यालय (शुल्क निर्धारण) अध्यादेश, 2018 की प्रति।

भवदीय

11.4.18

डा0(अवध नरेश शर्मा)
शिक्षा निदेशक(मा0)
उ0प्र0, लखनऊ।

पृष्ठांकनःशिविर/ 763-922 /2018–19 तददिनांकः

उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतन्त्र विद्यालय (शुल्क निर्धारण) अध्यादेश, 2018 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है–

1– निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की सेवा में अपर मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2– सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
3– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5– निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6– शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ0प्र0, निशातगंज, लखनऊ।
7– अपर शिक्षा निदेशक(मा0), उ0प्र0, इलाहाबाद।
8– अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक), शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
9– सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद।
10– उप शिक्षा निदेशक(मा0–1, मा0–2 एवं मा0–3), शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
11– शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, इलाहाबाद एवं शिविर कार्यालय, लखनऊ के समस्त अधिकारीगण।
12– प्रान्तीय अध्यक्ष, अध्यापक अभिभावक कल्याण संघ, उत्तर प्रदेश।

संलग्नक–उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतन्त्र
विद्यालय (शुल्क निर्धारण) अध्यादेश, 2018 की प्रति।

11.4.18

डा0(अवध नरेश शर्मा)
शिक्षा निदेशक(मा0)
उ0प्र0, लखनऊ।

दिनांक 09 अप्रैल, 2018 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-2 के खण्ड (क) में अवश्य प्रकाशित किया जाय।

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या-861/79-वि-1-18-2(क)6/2018

लखनऊ, दिनांक 09 अप्रैल, 2018

अधिसूचना

विविध

संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क निर्धारण) अध्यादेश, 2018 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 2018) प्रख्यापित किया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

(यहाँ पर संलग्न हिन्दी-प्रति छापी जाय)

आज्ञा से,

वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव।

संख्या-861(1)/79-वि-1-18-2(क)6/2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
2- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3- प्रमुख सचिव, शिक्षा अनुभाग-9, उत्तर प्रदेश शासन।
4- प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
5- प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
6- सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश।
7- प्रमुख सचिव, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
8- विधि परामर्शी पुस्तकालय, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
9- संसदीय कार्य अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
10- भाषा अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
11- विधायी अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

आज्ञा से,

(कुमुद पाल)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क निर्धारण) अध्यादेश, 2018

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 2018)

(भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित)

उत्तर प्रदेश राज्य में स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालयों में शुल्क निर्धारण किये जाने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों का उपबंध किये जाने के लिए

अध्यादेश

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :–

अध्याय–एक
प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू किया जाना और प्रारम्भ

1. (1) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क निर्धारण) अध्यादेश, 2018 कहा जायेगा;

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में है,

(3) यह धारा–2 के खण्ड (च) के अधीन परिभाषित परिषदों तथा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (सी0बी0एस0ई0), भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (आई0सी0एस0ई0), इण्टरनेशनल बेक्कलॉरेट (आई0बी0) और इण्टरनेशनल जनरल सर्टीफिकेट ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन (आई0जी0सी0एस0ई0) या सरकार द्वारा समय–समय पर परिभाषित किन्हीं अन्य परिषदों द्वारा मान्यता/सम्बद्धता प्राप्त ऐसे समस्त स्ववित्तपोषित पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, हाई–स्कूल और इण्टरमीडिएट कॉलेजों पर लागू होगा जिनमें किसी छात्र के लिए कुल सम्भावित संदेय शुल्क बीस हजार से अधिक हो। उक्त परिषदों में से किसी परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त/सम्बद्ध अल्पसंख्यक संस्थाओं पर भी लागू होगा। यह स्वतंत्र पूर्व प्राथमिक विद्यालयों पर लागू नहीं होगा,

(4) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगा।

परिभाषायें

2. इस अध्यादेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "सम्बद्धता" का तात्पर्य किसी परिषद के अनुमोदित विद्यालयों की सूची के मध्य मान्यता प्राप्त किसी ऐसे विद्यालय के नामांकन से है जो कक्षा–पाँच,आठ,दस और/या कक्षा–बारह तक के विहित/अनुमोदित

पाठ्यक्रम अध्ययन के लिए हो और साथ ही साथ ऐसे विद्यालयों के नामांकन भी है जो परिषद की परीक्षाओं के लिए विहित पाठ्यक्रमों के अनुसार छात्रों को तैयार करते हैं,

(ख) "शैक्षणिक वर्ष" का तात्पर्य सम्बन्धित परिषदों द्वारा विनिर्दिष्ट शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ होने और उसकी समाप्ति से है,

(ग) "समुचित प्राधिकारी" का तात्पर्य धारा–8 के अधीन गठित मण्डलीय शुल्क नियामक समिति से है,

(घ) "परिषद" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (सी0बी0एस0ई0), भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (आई0सी0एस0ई0), इण्टरनेशनल बैक्कलॉरिट (आई0बी0) और इण्टरनेशनल जनरल सर्टीफिकेट ऑफ सेकण्डरी एजुकेशन (आई0जी0सी0एस0ई0) या सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किसी अन्य परिषद से है,

(ङ) "जिला विद्यालय निरीक्षक" का तात्पर्य राज्य के प्रत्येक जिले में यथाविहित रीति से नियुक्त किसी अधिकारी या माध्यमिक शिक्षा के जिला विद्यालय निरीक्षकों की शक्तियों का प्रयोग करने और उनके कृत्यों का निष्पादन करने के लिए सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी से है,

(च) "मण्डलीय शुल्क नियामक समिति" का तात्पर्य धारा–8 के अधीन गठित मण्डलीय शुल्क नियामक समिति से है;

(छ) "शैक्षिक प्रयोजनों" का तात्पर्य किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा कृत किसी ऐसे शैक्षिक क्रियाकलाप से है जिसमें अन्य बातों के साथ साथ पाठ्यक्रम/पाठ्यचर्या सृजन, पेटेंट, अनुसंधान और विकास संबंधी क्रियाकलाप, अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम, कर्मचारी वर्ग उन्नयन कार्यक्रम, प्रौद्योगिकी उच्चीकरण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सह पाठ्यचर्या संबंधी क्रियाकलाप और खेल संबंधित अवसरचना और उपकरण तथा नवीन शाखा एवं नवीन विद्यालय स्थापना संबंधी क्रियाकलाप सम्मिलित हैं,

(ज) "पात्र शैक्षिक इकाई" का तात्पर्य सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी या भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अधीन सृजित न्यास या न्यासों या कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कम्पनियों या राज्य में मान्यता प्राप्त विद्यालयों को संचालित करने वाले, उनका प्रबन्ध करने वाले या अनुरक्षित करने वाले किसी परिषद द्वारा अनुज्ञा प्राप्त किसी अन्य इकाई से है,

(झ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से है,

(ञ) "संरक्षक" का तात्पर्य अभिभावक या किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसका नाम किसी छात्र के अभिभावक द्वारा संरक्षक के रूप में विद्यालय में रजिस्ट्रीकृत किया गया हो;

(ट) "विद्यालय का प्रधान" का तात्पर्य प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्रशासन तथा शैक्षिक मामलों का प्रबन्ध करने हेतु पात्र शैक्षिक इकाई द्वारा अभिहित, चाहे विद्यालय के किसी अन्य नाम से नामित व्यक्ति से है;

(ठ) "मण्डल शिक्षा निदेशक" का तात्पर्य राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के मण्डल स्तर के अधिकारी से है;

(ड) "स्थानीय प्राधिकारी" का तात्पर्य स्थानीय क्षेत्र की अधिकारिता से सम्पन्न नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम या किसी जिला पंचायत द्वारा अधिसूचित किसी स्थानीय क्षेत्र से है;

(ढ) "प्रबन्ध समिति" का तात्पर्य किसी विद्यालय की प्रबन्ध समिति से है जिसे किसी भी नाम से पुकारा जाय, जिसे विद्यालय के क्रियाकलाप सौंपे गये हों और ऐसे किसी व्यक्ति से है, जिसे किसी भी नाम या पदनाम से पुकारा जाय, जिसे ऐसे क्रियाकलाप सौंपे गये हों और इसके अन्तर्गत विद्यालय से किसी भी रीति से संबद्ध न्यास या कम्पनी भी सम्मिलित है;

(ण) "अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था" का तात्पर्य धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित एवं प्रशासित संस्था से है जिसे भारत का संविधान के अनुच्छेद-30 के खण्ड(1) के अधीन ऐसा करने का अधिकार प्राप्त हो;

(त) "अभिभावक अध्यापक एसोसिएशन" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए अभिभावक अध्यापक एसोसिएशन विनियमावली, 1986 के अधीन निर्मित अभिभावक अध्यापक एसोसिएशन और अन्य परिषदों के लिए विद्यालय द्वारा विद्यालय के अभिभावकों और अध्यापकों के साथ गठित अभिभावक-अध्यापक एसोसिएशन से है;

(थ) "अनुज्ञात शुल्क वृद्धि" का तात्पर्य धारा-4 के अधीन अनुज्ञात शुल्क वृद्धि से है;

(द) "लोक निर्माण विभाग" का तात्पर्य राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग से है;

(ध) "मान्यता प्राप्त विद्यालय" का तात्पर्य राज्य में संचालन हेतु किसी परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय से है;

(न) "मान्यता" का तात्पर्य राज्य में किसी विद्यालय के संचालन के लिए किसी परिषद द्वारा प्रदान किये गये ऐसे औपचारिक प्रमाणन से है कि वह विद्यालय संचालित करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित मानकों एवं शर्तों के अनुरूप हो;

(प) "स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय" का तात्पर्य शिक्षा प्रदान करने वाली ऐसी किसी संस्था से है, जिसमें ऐसे किसी प्रयोजन जो भी हो के लिए प्रमुख संस्था संबंधी व्ययों का वहन, ऐसी संस्था के प्रबन्धतंत्र द्वारा स्वयं किया जाता हो और/या विद्यालय निधियों/राजस्व से या अभिदाता विद्यालय के सम्पत्ति पर किन्हीं विल्लंगमों का सृजन करके प्राप्त ऋण सहित ऋण लेने के माध्यम से किया जाता हो;